



**SHREE
RAJASTHAN SYNTEX LTD.**

HO/SRSL/SEC
25th June, 2021

The
BSE Limited,
25th Floor, P.J. Towers,
Dalal Street,
MUMBAI- 400 001

Regd. & H.O. : 27-A, First Floor, Meera Nagar,
Housing Board Colony,
Udaipur (Raj.)-313001;
Ph. No. (0294) 2440334;
Email: cs@srsi.in; Website: www.srsi.in
CIN: L24302RJ1979PLC001948

Ref : SHREE RAJASTHAN SYNTEX LTD.

Scrip Code: 503837

Subject: Newspaper Advertisement- Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Financial Results)

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of Newspaper advertisements regarding Financial Results of the Company for the quarter and year ended on 31st March, 2021, published in the columns of English Daily "Financial Express", Delhi edition and Hindi Daily "Business Remedies", Jaipur edition on 25th June, 2021, both Newspapers having electronic edition.

This is for your information and record.

Thanking You,

FOR SHREE RAJASTHAN SYNTEX LTD.

Prinkle Talesara
(Company Secretary And
Compliance Officer)
Encl.: As above



BH STEELS LIMITED

Notice of Meeting... Public Notice... Company Notice... Form No. URC-2

FORM NO. URC-2

Advertisement giving notice about... Form No. URC-2... Details of the company...

SANKI FINANCE & INDUSTRIES LIMITED

Public Notice... Notice... Details of the company...

BHANDARI HOSIERY EXPORTS LIMITED

Public Notice... Notice... Details of the company...

SHREE RAJASTHAN SYNTAX LIMITED

Public Notice... Notice... Details of the company...

WISER GLOBAL LIMITED

Notice of Meeting... Public Notice... Details of the company...

E-AUCTION SALE NOTICE

Public Notice... Notice... Details of the auction...

PHOENIX ARC PRIVATE LIMITED

Public Notice... Notice... Details of the company...

SANKI FINANCE & INDUSTRIES LIMITED

Public Notice... Notice... Details of the company...

BHANDARI HOSIERY EXPORTS LIMITED

Public Notice... Notice... Details of the company...

SHREE RAJASTHAN SYNTAX LIMITED

Public Notice... Notice... Details of the company...

FINANCIAL EXPRESS

Public Notice... Notice... Details of the company...

U.P. STATE SUGAR CORPORATION LTD.

Public Notice... Notice... Details of the company...

SHORT TERM E-TENDER NOTICE

Public Notice... Notice... Details of the tender...

MOONGIPA CAPITAL FINANCE LTD

Public Notice... Notice... Details of the company...

MOONGIPA SECURITIES LTD

Public Notice... Notice... Details of the company...

MOONGIPA CAPITAL FINANCE LTD

Public Notice... Notice... Details of the company...

MOONGIPA SECURITIES LTD

Public Notice... Notice... Details of the company...

MOONGIPA CAPITAL FINANCE LTD

Public Notice... Notice... Details of the company...

CONTINENTAL SECURITIES LIMITED

Public Notice... Notice... Details of the company...

SHIVALIK SMALL FINANCE BANK LTD.

Public Notice... Notice... Details of the company...

SHIVALIK SMALL FINANCE BANK LTD.

Public Notice... Notice... Details of the company...

INDIAN BANK

Public Notice... Notice... Details of the company...

INDIAN BANK

Public Notice... Notice... Details of the company...

INDIAN BANK

Public Notice... Notice... Details of the company...

INDIAN BANK

Public Notice... Notice... Details of the company...

SWADESHI POLYTEX LIMITED

Public Notice... Notice... Details of the company...

SWADESHI POLYTEX LIMITED

Public Notice... Notice... Details of the company...

SWADESHI POLYTEX LIMITED

Public Notice... Notice... Details of the company...

BR
समाप्तकीय
कोरोना से बचाव के नियमों को
जीवन शैली में अपनाया होगा

देश में कोरोना संक्रमण धीरे-धीरे कमि और बढ़ रहा है। संक्रमित भी मले-चंगे हो रहे हैं, उसे देखते हुए यह बहुत जरूरी है कि हम अब इस संक्रमण की पुनरावृत्ति को रोकें और बिना कोई लापरवाही करते कोरोना से बचाव के उन नियमों को



पुनीत जैन

अभी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, जो संक्रमण की रोकथाम के लिए अपेक्षित मने जाते हैं। इनके सफाई यह भी जरूरी है कि कोरोना मरीजों की लगातार कम होती संख्या के फल को बहदस्तर जारी रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को वैश्वीन जल्द से जल्द लगाई जाए। वही अब 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के नागरिकों के लिए भी मुफ्त वैक्सीन लगाने की योजना भी शुरू हो चुकी है, जिसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि भारत के पास वैक्सीन का दवावित भंडार है कि नहीं। अब वह समय बीत चुका है कि हम वैक्सीन खरीदें और लोगों की नीतियों की नुस्तावीनी में उतरे रहे, अब जरूरी यह है कि प्रत्येक को वैक्सीन लगा कर निश्चितता का वातावरण तैयार किया जाए।

वैकिक अब वैक्सीन केन्द्र सरकार ही खरीदेंगी और राज्य की वितरित करेगी तो प्रादेशिक सरकारों को अपने चिकित्सा तंत्र को मजबूत स्थिति में लाना होगा। केन्द्र ने वैक्सीन लगाने के लिए प्रोत्साहन नीति में भी दिशाई बदली है और लोगों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को सुविधा दी है कि वे सीधे चिकित्सा केन्द्रों पर जाकर अपना प्रोत्साहन प्राप्त कर सकें। अतः जिला व पंचायत स्तर पर बहुत सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। पर यह सब काम इस बात पर निर्भर करेगा कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो।

अब मुख्य सवाल नागरिकों की सुरक्षा का है और उनकी सुरक्षा से ही देश सुरक्षित रहेगा। इस मामले में किसी प्रकार का झरम सीधे राष्ट्रीय हितों से जाकर जुड़ जाता है। यह इसलिए है क्योंकि बिना अर्थव्यवस्था के तुल्य रूप हम आम लोगों के जीवन में खुशियां वापस नहीं ला सकते हैं। वर्तमान में बेरोजगारी की दर 14 प्रतिशत से ऊपर हो चुकी है और मजदूरी की दर में भी लगातार वृद्धि हो रही है। इससे आम नागरिकों पर दोहरी मार पड़ रही है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान 97 प्रतिशत लोगों की आय में कमी दर्ज हुई है। यह कमी बतानी है कि हमें आर्थिक मोर्चे पर प्रगति करने के लिए जल्द से जल्द प्रत्येक नागरिक के वैक्सीन लगाने पर वहीयत देनी पड़ेगी। जहां एक ओर कोरोना की दूसरी लहर ने लघु व मध्यम कर्ष के उद्योगों समेत पर्यटन व सेवा क्षेत्र को चौपट करके रखा है। होटल, पर्यटन, परिवहन व खाद्यपान से लेकर कॉर्पोरेट गतिविधियां लगभग ठप-सी हो गई हैं। इसकी वजह से अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ा रही है। यह स्थिति को अगर हमें बदलना है तो नागरिकों का टीकाकरण जल्द से जल्द करना ही होगा।

BR
सूचना
इस पृष्ठ पर प्रकाशित सभी विषय लेख व्यक्तिगत रूप से आधार पर हैं।
संपर्क

बिजनेस रेमेडीज में विज्ञापन एवं खबरों हेतु संपर्क करें

जिला	प्रतिनिधि	फोन
भीलवाड़ा	प्रकाश चामलोट	9414114789
जोधपुर	सुरेश गोभी	9983490638
उदयपुर	दिनेश मोतवाल	9829297360
बाजानगर	हिरेश वैश्या	9982335564
पारली	के.के. सिंघल	9079812324
श्रीकांतपुर	सुरजित शर्मा	8739999594
श्रीगंगानगर	प्रदीप धरजा	9414094108
अजमेर	समिन्धन	9414261485
कियासपुर	मनूचंद सोलंकी	9289509473
सह्या मिट्टी	निनाश जैन	9829097681
कोटा	राहुल पारीक	9602063359
कांकोली	सोनिम	9214604022
कंकड़ी	किसान सागर	9928707194
अलवर	मोहित अग्रवाल	9414261485


बिजनेस रेमेडीज
पता:- 63/118, हीरा पथ, मानसरोवर, जयपुर-30200
फोन:- 0141- 2785686, 9929106227

आयकर की धारा-194Q टीडीएस का नया प्रावधान



पंकज घोषा

आयकर की धारा-194Q सुनुई, 2021 से लागू होगी, जिसके अंतर्गत टीडीएस के नये प्रावधान के अनुसार खरीदार अर्थात् बायर को टीडीएस करने की आवश्यकता होगी, जब वह खरीदेंगे गए माल का भुगतान कर रहा हो। उक्त भुगतान में पुरवाव भुगतान या अकाउंट डेडिट भी शामिल होगा। यह प्रावधान अकर्मित होने के लिए लकरव में कुछ शर्तों व सीमाएं रखी हैं। प्रावधान के अनुसार अगर खरीदार का वार्षिक आयकर 10 करोड़ रूप्ये से ऊपर है तो टीडीएस का प्रावधान अकर्मित होगा, लेकिन उक्त प्रावधान टीडीएस के लिए भरे महादुकर जोखरी की रशि समिन्धित नहीं होगी, क्योंकि केवडीय प्रत्यक्ष कर कई द्वारा पूर्व में एक सुनुई 23/2017 दिनांक 19 जुलाई, 2017 को जारी किया गया है जिसने सेवा संबंधित प्रावधानों के लिए यह निर्णय किया गया है कि उक्त भुगतान जो कि सेवा



TDS Tax Deducted at Source

संबंधित है, के लिए जोखरी की लिए टीडीएस अकर्मित नहीं होगा, लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना होगा कि उक्त सुनुई 2017 में सेवा संबंधित लेखन का दर्शन नहीं था। हालांकि अखंड यह भी कि सुनुई, 2021 से पूर्व कई द्वारा इस विषय पर भी सुनुई जारी किया जा सकता है, लेकिन नरे/मालुवार उक्त 2017 का सुनुई माल संबंधित लेखन भी लागू करना चाहिए तथा टीडीएस जोखरी रशि पर नहीं कटा जाना चाहिए।

उक्त धारा-194Q से संबंधित सुनुई सुनुई निम्न प्रकार हैं

1. कर दर : आयकर अधिनियम के अंतर्गत धारा-194Q के प्रावधान 1 जुलाई, 2021 से लागू होगा। उक्त प्रावधान लागू होने के लिए यह जरूरी है कि केरा खरीदार का भुगतान प्रत्येक तिमाही में 10 करोड़ रूप्ये या अधिक का माल खरीदा है तो उक्त संव्यवहार

प्रावधान है जो अन्य टीडीएस करने समय भी लागू होते हैं। यद्यपि यह ध्यान देने की बात है कि उक्त टीडीएस के प्रावधान तभी अकर्मित होंगे, जब धारा-194Q की सभी शर्तें लागू हो रही हैं।

2. टीडीएस की दर : आयकर अधिनियम के अंतर्गत धारा-194Q के प्रावधान के अनुसार टीडीएस की दर 0.1 प्रतिशत होगी, लेकिन यह दर तभी लागू होगी, जबकि विदेशी व्यवहारी में अमान पेन बकर उपलब्ध करा दिया है। अगर विदेशी व्यवहारी द्वारा अमान पेन बकर नहीं दिया जाता है तो उक्त स्थिति में धारा-200कर के प्रावधान भी साथ में अकर्मित हो जाते हैं और उसके अनुसार धारा-194Q के संव्यवहारी में पेन बकर नहीं देने पर टीडीएस की दर 5 प्रतिशत होगी।
3. समय : आयकर अधिनियम के अंतर्गत धारा-194Q के प्रावधान 1 जुलाई, 2021 से लागू होगा। उक्त प्रावधान लागू होने के लिए यह जरूरी है कि केरा खरीदार का भुगतान प्रत्येक तिमाही में 10 करोड़ रूप्ये या अधिक का माल खरीदा है तो उक्त संव्यवहार

4. टीडीएस की अविचार्यता : उक्त प्रावधान 50 लाख रूप्ये से अधिक के भुगतान पर अकर्मित होगा। माल संबंधित अगर अपना किसी केरा से खरीद एक तिमाही वर्ष में 50 लाख रूप्ये से अधिक हो तो उक्त अधिक रशि पर ही टीडीएस की देयता होगी, लेकिन अगर खरीद 50 लाख रूप्ये से कम है तो टीडीएस की देयता नहीं होगी। उक्त 50 लाख रूप्ये की सीमा खरीद जो 1 अप्रैल, 2021 से किसी केरा से की जा रही है, उस पर लागू होगी ना कि 1 जुलाई के बाद की खरीद पर। अर्थात् 50 लाख रूप्ये की सीमा पूरे तिमाही वर्ष में की गयी खरीद की गयी रशि पर गणना कर के लागू होगी।
5. टीडीएस रिटर्न व अन्य : व्यवहारी द्वारा जो भी टीडीएस की रशि कटाती जाती है उसका भुगतान माह समाप्ति के 7 दिन के अंदर करना अविचार्य है, लेकिन मार्ग माह का टीडीएस के लिए यह समय सीमा बढ़ी हुई है तथा मार्ग माह का भुगतान कर रहे हैं या उसे कोई प्रस्ताव दिना गया है या उसके अकाउंट को डेडिट किया गया है। मुख्यतः टीडीएस के वही

प्रोपर्टी अर्थव्यवस्था।

अराजपत्रित कर्मी एक जुलाई से ऑनलाइन भर सकेंगे अचल संपत्ति विवरण

जयपुर। मुख्य सचिव निरखन अर्ध ने अराजपत्रित कर्मियों की अचल संपत्ति विवरण 1 जुलाई से ऑनलाइन अपलोड करने के लिए कर्मिक विभाग को निर्देश दिये हैं।

वैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि 1 जुलाई से अराजपत्रित कर्मियों की भी अचल संपत्ति विवरण अपलोड करने का नैतिकता विकसित किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि जो कर्मिक अपनी अचल संपत्ति का विवरण उभयपक्षी में नहीं भरते उन्हें उम्मीद निरखन सचिव्यत नहीं की जाएगी और प्रोपर्टी का विवरण वे तब तक नहीं भरेंगी।

वैठक में कर्मिक विभाग के प्रमुख सचिव सचिव हेमंत गुप्ता ने बताया कि राजपत्रित अधिकारियों की तरह अब अराजपत्रित अधिकारियों और कर्मियों को अपने अचल संपत्ति विवरण को स्वयं के एच एच ओ अडॉडी से लॉग इन कर राजपत्रित विवरण में अपलोड करना होगा।

श्री राजस्थान रिटायर्स लि. (CIN: 12AB00017914001948)

क्र. सं.	विवरण	प्रमाण पत्रों की संख्या	अचल संपत्ति का मूल्य (₹)	अचल संपत्ति का मूल्य (₹)	अचल संपत्ति का मूल्य (₹)	अचल संपत्ति का मूल्य (₹)	अचल संपत्ति का मूल्य (₹)
1	भारत में पूरा पूरा	1580	1580	1580	1580	1580	1580
2	भारत में पूरा पूरा (₹)	1580	1580	1580	1580	1580	1580
3	भारत में पूरा पूरा (₹)	1580	1580	1580	1580	1580	1580
4	भारत में पूरा पूरा (₹)	1580	1580	1580	1580	1580	1580
5	भारत में पूरा पूरा (₹)	1580	1580	1580	1580	1580	1580
6	भारत में पूरा पूरा (₹)	1580	1580	1580	1580	1580	1580
7	भारत में पूरा पूरा (₹)	1580	1580	1580	1580	1580	1580
8	भारत में पूरा पूरा (₹)	1580	1580	1580	1580	1580	1580
9	भारत में पूरा पूरा (₹)	1580	1580	1580	1580	1580	1580
10	भारत में पूरा पूरा (₹)	1580	1580	1580	1580	1580	1580

सारदा प्रोटीन्स लिमिटेड

विवरण	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018
अचल संपत्ति	51,89,20,000	51,16,20,000	51,16,20,000	51,16,20,000
अचल संपत्ति का मूल्य	54,25,47,91	1,90,59,144.38	1,44,38,548.05	548.05
अचल संपत्ति का मूल्य (₹)	(3,36,27,91)	(2,94)	13,43	6,33

सदस्यता सूचना

(केवल एक वाई-मेल से प्राप्त करने के लिए)
अधीन अंक सदस्यता सूचना
1 वर्ष 307 1450
remediesbusiness@gmail.com

नाम: _____
पता: _____
रिजिस्ट्रार: _____
फोन: _____
इमेल: _____

बिजनेस रेमेडीज प्राप्त करने के लिए सदस्यता शुल्क बैंक अकाउंट में जमा करवाये या सदस्यता शुल्क बैंक/डीडी के साथ कार्यालय पर भिजायें।
Bank Account - Business Remedies
A/c No. 6123349765 Bank Name: SBI
पता- 63/118, हीरा पथ, मानसरोवर, जयपुर-302002
फोन- 0141-2785686, 9929106227

सदस्यता शुल्क
जयपुर एवं राजस्थान के अन्य शहरों में बिजनेस रेमेडीज अपने हकियार से सभी शहरों तक

क्र. सं.	सदस्यता शुल्क	नाम	फोन
1	₹ 1000	श्री राजस्थान रिटायर्स लि.	9414261485
2	₹ 1000	श्री राजस्थान रिटायर्स लि.	9414261485
3	₹ 1000	श्री राजस्थान रिटायर्स लि.	9414261485
4	₹ 1000	श्री राजस्थान रिटायर्स लि.	9414261485
5	₹ 1000	श्री राजस्थान रिटायर्स लि.	9414261485
6	₹ 1000	श्री राजस्थान रिटायर्स लि.	9414261485
7	₹ 1000	श्री राजस्थान रिटायर्स लि.	9414261485
8	₹ 1000	श्री राजस्थान रिटायर्स लि.	9414261485
9	₹ 1000	श्री राजस्थान रिटायर्स लि.	9414261485
10	₹ 1000	श्री राजस्थान रिटायर्स लि.	9414261485
11	₹ 1000	श्री राजस्थान रिटायर्स लि.	9414261485
12	₹ 1000	श्री राजस्थान रिटायर्स लि.	9414261485
13	₹ 1000	श्री राजस्थान रिटायर्स लि.	9414261485
14	₹ 1000	श्री राजस्थान रिटायर्स लि.	9414261485
15	₹ 1000	श्री राजस्थान रिटायर्स लि.	9414261485
16	₹ 1000	श्री राजस्थान रिटायर्स लि.	9414261485
17	₹ 1000	श्री राजस्थान रिटायर्स लि.	9414261485
18	₹ 1000	श्री राजस्थान रिटायर्स लि.	9414261485
19	₹ 1000	श्री राजस्थान रिटायर्स लि.	9414261485
20	₹ 1000	श्री राजस्थान रिटायर्स लि.	9414261485
21	₹ 1000	श्री राजस्थान रिटायर्स लि.	9414261485
22	₹ 1000	श्री राजस्थान रिटायर्स लि.	9414261485

सदस्यता शुल्क
जयपुर एवं राजस्थान के अन्य शहरों में बिजनेस रेमेडीज अपने हकियार से सभी शहरों तक